कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू—प्रबंध)

दूरभाष: 0771 — 2512840 ई — मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू—प्रबंध/विविध/ 115—720/ 1799 रायपुर, दिनांक 12/10/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषयः — **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha. reg.**
पंजीयन क्रमांक — FP/CG/Road/27773/ 2017

संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5—22/ 2019/ 10—2 दिनांक 24.07.2020

= 0 =

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— संदर्भ पत्र की छाया प्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115—720/ 1800 रायपुर, दिनांक 12/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **प्राचार्य**, शासकीय पॉलीटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

संलग्नः— संदर्भ पत्र की छाया प्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू — प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/एफ 5–22/2019/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/07/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ, अरण्य भवन, सेक्टर–19

नवा रायपुर, अटल नगर, ।

विषयः– **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720/1247 दिनांक 27.06.2020।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/– विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिन्दुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–45 में लेख अनुसार, विषयांकित गैर वानिकी कार्य के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोण हेतु दुगुने नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ), कक्ष क्रमांक 1474 को प्रस्तावित किया गया है । भारत सरकार के दिशा–निर्देश पुस्तिका के अध्याय–2 के पैरा 4.1 अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है ।

   अतः कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के बाहर के भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित करें।

2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 (e) अनुसार राज्य सरकार को सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति का अधिकार निम्न शर्त के अधीन दिया गया है :–

   Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.

(क्रमशः)

प्रकरण में चूंकि आवेदक संस्थान को पूर्व में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से 0.99 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training संबंधी गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति प्रदाय किया गया है। उपरोक्त अनुमति के पश्चात् प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र दिनांक 27.06.2020 के बिन्दु क्रमांक–4 में लेख अनुसार शासकीय Polytechnic भवन एवं पहुंच मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है । विषयांकित प्रकरण में पूर्व में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित 0.99 हे. वन भूमि के साथ–साथ Polytechnic College से जुड़े अन्य रिहायशी निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि चाही गई है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 (e) (न्यूनतम वन भूमि उपयोगिता) के अंतर्गत पर तथ्यात्मक टीप प्रेषित करें ।

3/– आदेशानुसार निवेदन है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपना तथ्यात्मक टीप/दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग